

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 4960**  
**दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**मूल हथकरघा**

4960 डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में मूल हथकरघा उत्पादों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि देश में अनेक हथकरघा उत्पादों को मशीनों के माध्यम से तैयार कर हथकरघा उत्पादों के रूप में बेचा जा रहा है; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में फर्जी हथकरघा उत्पादों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री  
(श्री पवित्र मार्देश्वरिटा)

(क) से (ग): 104 महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (जीआई) (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है। जीआई उत्पादों के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को इस अधिनियम के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा उत्पादों के अवैध विनिर्माण/मार्केटिंग के खिलाफ अपने हितों की रक्षा के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क करने का अधिकार प्राप्त है।

सरकार हथकरघा पर आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन तथा देश में हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को क्रियान्वित कर रही है। कुछ तकनीकी विशिष्टताओं के साथ 11 वस्त्र उत्पाद, विशेष रूप से हथकरघा पर उत्पादन के लिए आरक्षित (रिजर्वड) हैं। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पात्र राज्य सरकारों को योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए संबंधित राज्य हथकरघा विभागों और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्र में निरीक्षण किए जाते हैं।

सरकार ने हथकरघा पर बुने गए उत्पादों की पहचान के लिए “हैंडलूम मार्क” की शुरुआत की है। इन उपायों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर जागरूकता पैदा करने संबंधी जागरूकता सूजन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

\*\*\*\*